International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 4; Issue 4; April 2017; Page No. 295-297

जनजातीय महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिकाओं में परिवर्तन की स्थिति : एक विवेचन

डॉ. तृप्ति मांझी

अतिथि व्याख्याता, जनजातीय अध्ययन विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में विकासात्मक तत्व दृष्टिगोचर हो रहे हैं, देश की लगभग डेढ़ सौ करोड़ की आबादी इस विकास से अछूती नही है, चाहे वह जनजातीय, ग्रामीण या नगरीय समुदाय ही क्यों न हो विकास हर क्षेत्र में किया जा रहा है। परन्तु यह विकास कहीं न कहीं असंतुलित दृष्टिगोचर होता है। देश के अनेक क्षेत्रों में जैसे जनजातीय ग्रामीण एवं छोटे कस्बाई क्षेत्रों में विकास के तत्व तो दिखाई देते है परन्तु पर्याप्त या संपूर्ण विकास की कल्पना करना अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है। जहां एक ओर नवीन तकनीकी विकास के फलस्वरूप सूचना एवं संचार माध्यमों के विकास से देश की जनसंख्या अत्यधिक सरल व सहज जीवन–यापन भी कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश में जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं की एक बड़ी आबादी इन नवीन तकनीकी, सूचना, संचार एवं विकास के विभिन्न आयामों से दूर है तथा इसके सामाजिक– आर्थिक आयामों में संपूर्ण विकास की परिकल्पना कर पाना कठिन है। देश में महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास को लेकर जो भी नीतियां बनायी जाती हैं वह केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित व केन्द्रित हो जाती हैं, जबकि अधिकांश ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों एवं कस्बों में निवास करने वाली महिलाएं इन विकास नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती और उपेक्षित ही रह जाती हैं। शहरी एवं ग्रामीण सूदरवर्ती क्षेत्रों का यह अंसतुलन तथा वर्तमान समय में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिकाओं में हो रहे परिवर्तनों का असंतुलन भारत जैसे विकासशील एवं प्रगतिशील राष्ट्र का विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए एक चुनौती है और कहीं ना कहीं यह एक चेतावनी भी है, कि जब देश में महिला जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उपेक्षित, साधनहीन तथा अनेक आयामों में विकास की परिधि से बाहर है तो किन आधारों पर भारत एक विकसित राष्ट्र बन पायेगा।

1964 में चीन में ''मास इम्पावरमेंट ऑफ पीपुल'' पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन में दोहरे उद्देश्यों को लेकर हुई थी। इसका प्रथम उद्देश्य, असमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को चुनौती देना और दूसरा उद्देश्य असमान व्यवस्थाओं में परिवर्तन था। विशेष रूप से 1980 के दशक से सशक्तिकरण ''मानव विकास'' से व्युत्पन्न वैचारिकी के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। गीता सेन एवं केरेन ग्राउन (1987)[1] एवं (1993)[2] ने ''तीसरी दुनिया की महिलाओं के विकास, संकट एवं वैकल्पिक परिकल्पना सशक्तिकरण तथा मानव अधिकार के परिपेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण'' को विवेचित किया है। सन् 1990 के आसपास विकास की मुख्यधारा संस्थाओं ने इस अवधारणा को विकास के एक वैकल्पिक उपागम के रूप में अपना लिया है।

नारायन (2002)[3] ने सशक्तिकरण को ''शक्ति'', किशोर, सुनीता, सुबैया एवं लेखा (2008)[4] ''संसाधनों पर नियंत्रण'' व ''व्यैक्तिक अधिकारों'', जेजीबॉय, शिरीन (2000)[5] ''निर्णय लेने की शक्ति'' या ''स्वायत्ता'' गेज (1995)[6] ''प्रस्थिति'' एवं ''समिति'', मेसन (1998)[7] ''घरेलु आर्थिक शक्ति'', ''स्वायत्ता'' एवं ''अन्तर्निमेय लैंगिक स्तरीकरण'' तथा वर्ल्ड डेवलपमेन्ट रिपोर्ट (2000)[8] ने लैंगिक समानता के अर्थ में विवेचित किया है।

इब्राहिम एवं अलकिर (2000)[9] मानते है कि सशक्तिकरण के संदर्भ में अप्रत्यक्ष सूचक के रूप में ''महिलाओं की शिक्षा एवं कार्य सहभागिता'' को तथा प्रत्यक्ष सूचक के रूप में ''स्वायत्ता'' जिसमें निर्णय लेने की शक्ति, उनकी गतिशीलता एवं आर्थिक संसाधनों तक पहुंच एवं नियंत्रण हैं।

इसी प्रकार महिलाओं की आर्थिक क्रियाओं में भूमिकाओं के संबंध में अनेक शोध अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि जनांककीय आधार पर देश की कुल जनसंख्या में लगभग 51.74 प्रतिशत पुरूष एवं 48.26 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो पुरूषों की जनसंख्या से थोड़ा ही कम है और ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्त्री–पुरूष का संयुक्त रूप से कुल क्रियाशीलता का प्रतिशत 39.79 है और इस क्रियाशील जनसंख्या में कुल 53.26 प्रतिशत पुरूष और मात्र 25.51 प्रतिशत स्त्री जनसंख्या ही आर्थिक क्रियाओं में सहभागी भूमिकाएं निभाती हैं जो कुल क्रियाशील पुरूष जनसंख्या से आधे से भी कम होना दर्शाता है, जो महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिकाओं की एक चिंताजनक एवं विचारणीय स्थिति को दर्शाता है।

मम्मेन एवं पेक्सन (2008)[10] ने महिलाओं की विभिन्न व्यवसायों में सक्रियता को उनके आर्थिक आत्मनिर्भरता के विकास में एक जटिल कारक एवं समाज में प्रस्थिति के सूचक के रूप में विवेचित किया है। गोल्डिन (1994)[11] ने विवेचित किया ह, कि कम आय व कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की श्रम शक्ति के रूप में सक्रिय सहभागिता केवल पारिवारिक कृषि कार्यो एवं व्यवसायों में सहयोगी भूमिकाओं को निभाने तक ही सीमित है। राहुल लाहोटी (2003)[12] के अनुसार इसका मुख्य कारण पारिवारिक दायित्वों के साथ–साथ कृषि से संबंधित कार्यो को सुगमता से किया जा सकता है। जबकि अन्य व्यवसायों एवं कार्यों के प्रति आकर्षण कम होता है, क्योंकि सामाजिक मान्यताएं इन्हें अन्य कार्यों को करने से रोकती हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक भूमिकाओं में हो रहे परिवर्तनों एवं उनकी सक्षमता/सशक्तीकरण की व्याख्या निम्नलिखित संकेतकों के आधार पर की जा सकती है –

- स्वयं पर निर्णय लेने की शक्ति।
- लैंगिक अधिकारों के प्रति जागरूकता।
- मातृत्व चयन की स्वतंत्रता
- निर्णय लेने के लिये सूचना एवं संसाधनों तक पहुंच।
- शिक्षा के अवसर
- विकल्पों के चयन की क्षमता।
- पारिवारिक/सामूहिक निर्णयों की प्रभावपूर्ण क्षमता।
- निर्णयों पर स्वीकार्यता
- आर्थिक स्वायत्ता।

- राजनैतिक चेतना एवं सहभागिता।
- परिवार एवं समाज में सम–सम्मान

मुख्यधारा समाज की अपेक्षा जनजातीय समुदायों में महिलाओं की समाजिक एवं आर्थिक स्थितियों एवं भूमिकाओं के संबंध में अनेक अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि जनजातीय समुदायों में महिलाओं की स्थिति इन आयामों में सापेक्षिक रूप से सुदृढ़ है। हीरालाल शुक्ल[13], ने जनजातीय समाज के संदर्भ में कहा है कि आदिवासी समाज लिंगगत भेदभाव से मुक्त है। ''व्यक्तिक तथा आर्थिक मसलों में आदिवासियों की सामाजिक संरचना में बराबरी का जो ''एथास'' देखने को मिलता है, उससे मानवविज्ञानियों ने आदिवासी महिलाओं को महिमामण्डित कर दिया है। आदिवासी समाज में लिंग भेद विद्वमान है। किंतु यह उनकी अभाव ग्रस्त आर्थिक परिस्थितियों के कारण ओझल हो जाता है। जो पुरूषों में संयुक्त आर्थिक कियाओं में सहयोगी व सहभागी बनने के लिये बाध्य करती है।

आधुनिक मुख्यधारा सभ्य समाजों में जहां लिंग आधारित समामाजिक आर्थिक भेद संबंधी अवधारणाओं का जन्म हुआ है। वहीं जनजातीय समुदायों में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार प्रदान किये गये हैं और वे पुरूषों के समान ही सामाजिक एवं आर्थिक भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं।

कुछ जनजातियों को छोड़कर प्रायः सभी जनजातीय समाजों में महिलाओं का स्थान या तो पुरूषों के बराबर या उससे ऊँचा होता है, अर्थात् महिलाओं की स्थिति पुरूषों की तुलना में अधिक सफल एवं सृदृढ़ है।

मध्यप्रदेश सहित अन्य जनजातीय बाहुल्य प्रदेशों में महिलाओं की कार्य/श्रम सहभागिता की स्थिति पर प्रकाश डालें तो दर्शित होता है कि

सारणी क्रमांक 1: जनजातीय बाहुल्य प्रदेशों में महिलाओं की कार्यशीलता/श्रम शक्ति सहभागिता दर : 2011

क्र.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	ग्रामीण			नगरीय			संयुक्त		
		स्त्री	पुरूष	कुल	स्त्री	पुरूष	कुल	स्त्री	पुरूष	कुल
1.	मध्यप्रदेश	39.3	54.3	47.0	15.1	51.66	34.18	32.64	53.56	43.47
2.	छत्तीसगढ़	46.3	56.4	51.3	17.4	53.09	35.66	39.70	55.59	47.68
3.	अंडमान व निकोबार	17.9	59.1	38.8	17.7	60.35	40.47	17.81	59.59	40.08
4.	आंध्रप्रदेश	44.6	58.4	51.5	19.1	54.14	36.75	36.16	59.98	46.61
5.	अरूणाचल प्रदेश	39.5	48.5	44.1	21.3	50.91	36.97	35.44	49.06	42.47
6.	असम	23.7	53.1	38.7	14.9	56.79	39.41	22.46	53.59	38.36
7.	झारखण्ड	35.0	50.8	43.0	10.1	46.72	29.26	29.10	49.76	39.71
8.	मणिपुर	41.2	52.4	46.9	33.2	49.87	41.41	38.56	51.58	45.09
9.	मेघालय	35.0	47.0	41.0	23.6	47.68	35.63	32.67	47.17	39.96
10.	मिजोरम	41.9	53.9	48.0	31.1	50.89	—	36.16	52.35	44.36
11.	सिक्किम	44.6	61.0	53.3	24.8	57.52	41.90	39.57	60.16	50.47
12.	त्रिपुरा	26.1	55.3	41.1	16.0	56.97	36.76	23.57	55.77	40.00
भारत		30.0	53.0	41.8	15.4	53.76	35.31	25.51	53.26	39.79

स्रोत : जनगणना 2011, आंकड़े, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया

भारत में प्रदेशवार गामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं एवं पुरूषों के कार्यशीलता /श्रम शक्ति सहभागिता दर 2011 के उपरोक्त सारणी में प्रस्तुत आंकड़ों से प्रदर्शित है कि लगभग सभी प्रदेशों में महिलाओं की आर्थिक कियाओं में संलग्नता या आर्थिक भूमिकाएं पुरूषों की तुलना में सापेक्षिक रूप से न्यून है परन्तु ध्याान देने योग्य है। केवल ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में कृषि संबंधी कार्यों में ही सहभागिता दिखाई देती है, परन्तु वह भी संतोषजनक स्थिति में नहीं है। मुख्य कार्य की अपेक्षा महिलाओं की सीमांत कार्यों में संलग्नता जैसे कृषि, कृषि कार्यों में सहभागिता, खेतिहर मजदूरी अत्यधिक है। यद्वपि जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति एवं आर्थिक सहभागिता पुरूषों के समान होती है और अन्य मुख्यधारा समाज से अपेक्षाकृत रूप से सुदृढ़ है, तथापि यह सामान्यतः अवेतनिक श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं।

वर्तमान में शासन की विभिनन योजनाओं, अनुसूचित जनजातियों को एवं जनजातीय महिलाओं को विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों, शासकीय एवं राजनीतिक पदों पर आरक्षण एवं विभिन्न योजनाओं यथा –स्वयंसिद्धा योजना, स्व सहायता समूह एवं तेजस्विनी योजना, उषा किरण योजना, स्वधार योजना, दीनदयाल सूक्ष्म ऋण योजना, किसान दीदी ट्रेनिंग योजना आदि के फलस्वरूप सामाजिक एवं आर्थिक भूमिकाओं में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसी प्रकार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं एवं जिलाए जनपद एवं ग्रामपंचायत स्तरों में जनजातीय महिलाओं को आरक्षण के परिणमस्वरूप राजनैतिक क्षेत्रों में भी महिलाओं की सहभागिता प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने लगी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सेन, गीता एवं केरेन ग्राउन (1987), ''डेवेलपमेन्ट क्राइसिस एण्ड अलटर्नेटिव विजन्स : थर्ड वर्ल्ड वुमेन पर्सपेक्टिव '', न्युयार्क, मन्थली रिव्यु प्रेस।
2. सेन, गीता एवं केरेन ग्राउन (1987), ''वुमेन इम्पावरमेन्ट एण्ड ह्यूमन राइट : द चेलेन्ज टूँ पॉलिसी'' प्रेजेन्टेड पेपर, पॉपुलेशन समिट ऑफ द वर्ल्ड सांइटिफिक एकेडमी।
3. नारायन, डी. (2002), ''इम्पावरमेन्ट एण्ड पावर्टी रिडक्षन'' वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन डी. सी.।
4. किशोर, सुनीता, सुभैया एवं लेखा (2008), ''अंडरस्टेंडिग वुमेन इम्पावरमेन्ट'' ए कम्पेरिटिव एनालिसिस ऑफ डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे (डीएचएस) डेटा।
5. जेजीबॉय, शिरीन (2000), ''वुमेन ऑटोनोमी इन रूरल इण्डिया : इट्स डिटरमिनेन्ट्स एण्ड दी इन्फ्लुएन्स ऑफ कान्टेस्ट'', इन वुमेन इम्पावरमेन्ट एण्ड डेमोग्राफी प्रोसेस : मूविंग बियान्ड कायरो, डेवेलपमेन्ट, (संपादित) हेरियेट प्रेसर एण्ड गीता सेन, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड।
6. गेज, अनासतासिया जे. (1995), ''वुमेन्स सोशियो–इकॉनामिक पॉजिशन एण्ड कान्ट्रासेप्टिव बिहेवियर इन टोगो'' स्टडीज इन फैमिली प्लानिंग, 26 (5)।

7. मेसन, कारेन (1998),''वाइव्स इकानॉमिक डिसिजन–मेकिंग इन दी फैमिली : फाइव एशियन कन्ट्रीज्'' (संपादित) दी चेन्जिंग फैमिली इन कम्पैरिटिव पर्सपेक्टिव : एशिया एण्ड दी युनाइटेड नेशन, ईस्ट–वेस्ट सेन्टर, हॉनोलुलु।
8. वर्ल्ड डेवलपमेन्ट रिपोर्ट (2000), ''अटैकिंग पॉवर्टी'' न्यूयार्क ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस।
9. इब्राहिम एस. एवं अलकिर एस., (2000), ''एजेन्सी एण्ड इम्पावरमेन्ट : ए प्रपोजल फॉर इन्टरनेशनली कम्पेरेबल इण्डीकेटर्स'' ओ.पी.एच.आई., वर्किंग पेपर सीरीज।
10. मन्नेन, क्रिस्टीन, एवं क्रिस्टीना पेक्सन (2008), ''वूमेनस् वर्क एण्ड इकोनॉमिक डेवेलपमेन्ट'', द जर्नल ऑफ इकॉनामिक पर्सपेक्टिव 14 (4)।
11. गोल्डिन, सी. (1994), ''द यू–शेप्ड फीमेल लेबर फोर्स फंक्शन इन इकोनॉमिक डेवेलपमेन्ट एण्ड इकॉनामिक हिस्ट्री''. इन इन्वेस्टमेंट इन वूमेन्स ह्यूमन केपिटल एण्ड इकॉनामिक डेवेलपमेन्ट, (संपादित) टी. पॉल सुट्ज, युनिवर्सिटी ऑफ शिकागो।
12. लाहोटी राहुल (2003), ''इकोनॉमिक ग्रोथ एण्ड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इण्डिया, वर्किंग पेपर नं. 414, भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर।
13. शुक्ल हीरालाल, आदिवासी अस्मिता और विकास,(पृ. 250,251), मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, बानगंगा भोपाल।